UPCH010016212026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट।
जमानत आवेदनपत्र सं0—700 / 2026

बिट्टन उर्फ किरन देवी पत्नी विनोद कुमार मिश्रा उर्फ राजा पुत्र शारदा प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भरथौल थाना भरतकूप हा0मु0 भॉगा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

....आवेदिका / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

मु0अ0सं0—60 / 2026
धारा—85, 80 (2) भारतीय न्याय संहिता
(पुरानी धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0)
व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना—भरतकूप जनपद चित्रकूट।

<u>निस्तारण जमानत आवेदनपत्र</u>

<u>23.07.2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका / अभियुक्ता बिट्टन उर्फ किरन देवी की ओर से मु0अ0सं0—60 / 2026 अन्तर्गत धारा 85, 80 (2) भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0) व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदनपत्र शपथपत्र 4ख से समर्थित है जिसके प्रस्तर 06 के अनुसार प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना उल्लिखित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुशील कुमार द्विवेदी की ओर से दिनॉक 21.04.2026 को थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी की बेटी साधना उम्र 20 वर्ष गॉव में ही योगेन्द्र मिश्र पुत्र विनोद कुमार मिश्र के साथ दिनॉक 18.01.2025 को ब्याही गयी थी और प्रार्थी ने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज रूपये व सोने चॉदी के जेवरात समस्त घरेलू सामान बर्तन, कपड़े इत्यादि देकर शादी की थी परन्तु उसकी बेटी के पति, सास बिट्टन देवी, ससुर विनोद कुमार, देवर शुभम मिश्रा व चाचा ससुर चन्द्रभूषण मिश्र सभी लोग मिलने वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उसकी बेटी के ससुराल जाते ही उससे सभी लोग पॉच तोले सोने की जंजीर तथा पॉच लाख रूपयों की मॉग करने लगे और मारपीट कर उसका उत्पीड़न करने

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.23 16:47:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगे। अपने उत्पीड़न के संबंध में प्रार्थी की बेटी ने अपनी मॉ, बहन, भाइयों एवं प्रार्थी से बताया करती थी तब प्रार्थी ने एक दो बार जाकर उपरोक्त दहेज की अतिरिक्त मॉग की पूर्ति कर सकने में अपने को असमर्थ बताते हुए हाथ पैर जोडे थे। दिनॉक 18.04.2026 को लगभग शाम 5 बजे प्रार्थी की बेटी ने फोन करके अपनी मॉ से बताया कि जंजीर व रूपये न मिलने के कारण यह लोग बहुत नाराज हैं और उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं तब प्रार्थी ने अपनी बेटी से कहा कि वह सुबह आकर उसके ससुराल वालों से बात करेगा कि उसी रात की भोर में लगभग 4.33 बजे प्रार्थी के मामा के लड़के राजा भइया ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी के साथ उसकी ससुराल वालों ने कुछ अप्रिय घटना कर दिया है फिर उसने 5 बजे सुबह अपने फोन पर बताया कि साधना को मार डाला गया है। इतनी बड़ी घटना हो गयी थी लेकिन गॉव में ही लगभग 500 मीटर दूर स्थित प्रार्थी को तथा उसके घर परिवार वालों को न तो कोई सूचना दी गयी और न ही उसका कोई उपचार ही कराया गया। जब प्रार्थी व उसके अन्य परिवारीजन घटनास्थल पर पहुॅचे तो प्रार्थी की बेटी बेड में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा उसके शरीर में चोटें भी दिख रही थी लेकिन उसके पति, सास, ससुर इत्यादि सभी घर से भागे हुए थे। प्रार्थी के भाई संजय द्विवेदी ने पुलिस को सूचना दी जिसपर पुलिस ने आकर शव का पंचायतनामा करके शव का पोस्टमार्टम करवाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त दहेज लोभियों ने प्रार्थी की बेटी को खाने या पीने में जहर मिलाकर एक राय होकर हत्या कर दी है, अतः उक्त लोगों के विरूद्ध उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है तथा गॉवदारी के दुश्मनानों से मिलकर तथा कानूनी मशविरा के पश्चात झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्ता ने कभी कोई दहेज की मॉग नहीं की है। यह भी कथन किया गया है कि वादी की पुत्री साधना अक्सर सिर दर्द से परेशान रहती थी जिसकी सूचना वादी को दी गयी तो वादी ने बताया कि उसकी पुत्री को एक बार बन्दर द्वारा खदेड़ने से वह छत से गिर गयी थी जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। इसके अलावा वह प्रेतिक बाधा से भी परेशान थी तो वह गॉव के अल्फीद को फोन करके फूॅक डलवाया तो वह ठीक हो गयी, इस प्रकार मृतका स्वयं परेशान रहती थी। वादी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अपनी लड़की का विवाह किया था। अभियुक्तगण के पास पूर्व से तीन ट्रक, बोलेरो, ट्रैक्टर, बुलेट आदि पहले से हैं तथा वादी द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना व मार डालना बिल्कुल बनावटी है। यह भी तर्क दिया गया है कि मृतका अपने पति के साथ जाने व बाहर रहने की जिद करती थी जिसको उसका पति

उसे बहुत समझाता था और अपनी जिद के कारण विषक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। आवेदिका/अभियुक्ता एवं अन्य द्वारा मृतका की दहेज हत्या कारित नहीं की गयी और न ही कोई दहेज की मॉग की गयी। पुलिस द्वारा झूठी विवेचना करके साक्ष्य संकलित की गयी है। अभियुक्ता का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि घटना की सूचना 48 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्ता दिनॉक 16.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

4. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक का यह तर्क है कि अभियुक्ता मृतका की सास है जिसने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पॉच तोले की सोने की जंजीर व पॉच लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर उसके साथ मारपीट करके क्रूरता का बर्ताव किया और उसे जहर देकर दहेज हत्या कारित किया है।

5. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. अभियोजन अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका साधना की शादी दिनॉक 19.01.2025 को गॉव में ही योगेन्द्र मिश्र पुत्र विनोद कुमार मिश्र के साथ सम्पन्न हुई थी तथा मृतका साधना की मृत्यु उसकी ससुराल में दिनॉक 19.04.2026 को हुई है। इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में साधना की मृत्यु होना अभिलेख से प्रकट हो रही है। अभिलेख से यह भी प्रकट हो रहा है कि साधना की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई है। वादी मुकदमा सुशील कुमार द्विवेदी, मृतका के चाचा श्याम बिहारी, अवधबिहारी उर्फ संजय द्विवेदी ने केस डायरी के पर्चा नं0–1 में अपने धारा 180 बी0एन0एस0एस0 (पुरानी धारा 161 दं0प्र0सं0) में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किये गये हैं कि अभियुक्तगण शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा उनके द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में पॉच तोला सोने की जंजीर व पॉच लाख रूपये की मॉग की जाती थी जिसकी पूर्ति न होने के कारण अभियुक्तगण मृतका के खाने में जहर या जहर पिलाकर मार डालने के कथन किये गये हैं। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा प्रिजर्व किया गया था और जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के परीक्षण परिणाम में विसरा के भागो (1–5) में आरगेनोक्लोरो इनसेक्टीसाइड विष पाया जाना उल्लिखित किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता को मृतका की सास होना कहा गया है। अभियुक्ता के विरूद्ध

आक्षेपित अपराध गम्भीर सामाजिक अपराध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्ता के विरूद्ध कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत प्रदान किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता बिट्टन देवी उर्फ किरन देवी की ओर से मु0अ0सं0–60/2026 अन्तर्गत धारा 85, 80 (2) भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0) व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 23.07.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड सं0–यू0पी05751